<u>महत्वपूर्ण सूचना</u>

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार, पटना

05, हार्डिंग रोड, पटना–800001

(वेबसाइट https://csbc.bihar.gov.in)

संदर्भ : विज्ञापन संख्या– 01/2023 (बिहार पुलिस में सिपाही पद हेतु)

विषय– शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) एवं दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) द्वारा बिहार पुलिस में 'सिपाही' पद की 21,391 रिक्तियों के विरूद्ध विज्ञापन संख्या 01/2023 दिनांक 09.06.2023 को प्रकाशित किया गया था और लिखित परीक्षा 6 चरणों में दिनांक 07.08.2024, 11.08.2024, 18.08.2024, 21.08.2024, 25.08.2024 एवं 28.08.2024 को आयोजित की गयी थी । लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों को अगले चरण ''शारीरिक दक्षता परीक्षा'' के लिए चयनित कर परीक्षाफल दिनांक 14.11.2024 को प्रकाशित किया गया है।

<u>शारीरिक दक्षता परीक्षा समय–सारणी एवं प्रवेश–पत्र :</u>

2. उपर्युक्त चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) दिनांक 09 दिसम्बर, 2024 से प्रारम्भ की जायेगी। अभ्यर्थियों के शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) की तिथि, स्थान एवं प्रवेश–पत्र की सूचना दिनांक 21.11.2024 समय 12:00 बजे से पर्षद की वेबसाइट **<u>https://csbc.bihar.gov.in</u>** के "Bihar Police" टैब पर उपलब्ध रहेगी, जहाँ से प्रवेश–पत्र डाउनलोड किया जा सकता है। जो अभ्यर्थी किसी कारणवश अपना ई–प्रवेश–पत्र Download नहीं कर सकेंगे, वे दिनांक 05 दिसम्बर, 2024 एवं 06 दिसम्बर, 2024 को केन्द्रीय चयन पर्षद के बैक हार्डिंग रोड (सचिवालय हाल्ट के निकट), पटना– 800001 स्थित कार्यालय से पूर्वाह्न 10:00 बजे से संध्या 05:00 बजे तक डुप्लिकेट प्रवेश–पत्र अपने खर्च पर प्राप्त कर सकते हैं।

3. सभी अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है कि किसी को भी प्रवेश–पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किया जायेगा।

4. शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़, गोला फेंक, ऊँची कूद की परीक्षाएँ होंगी एवं पुरूष अभ्यर्थियों के लिए उँचाई एवं सीना की माप तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए उँचाई एवं वजन की माप विहित मापदण्डों के अनुसार की जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा के मापदण्डों के लिए कृपया पूर्व प्रकाशित विज्ञापन का संदर्भ लें।

5. उपर्युक्त परीक्षाएँ/ माप के लिए कोई विशेष क्रम निर्धारित नहीं है। सभी परीक्षाओं में एवं मापों में, विहित मापदण्डों के तहत अलग-अलग सफल होना आवश्यक है। विस्तृत विवरण विज्ञापन में प्रकाशित सूचना के अनुसार है।

6. चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना प्रवेश-पत्र पर दर्ज रहेगी ।

7. शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) में निर्धारित तिथि को प्रत्येक अभ्यर्थी का सम्मिलित होना अनिवार्य है, अन्यथा वे अयोग्य माने जायेंगे और उन्हें दूसरा अवसर नहीं दिया जायेगा।

<u>दस्तावेज सत्यापन :</u>

8. शारीरिक दक्षता परीक्षा के दिन ही अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की भी जाँच की जाएगी। इसके लिए कोई दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा ।

9. शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) की तिथि पर ही सभी अभ्यर्थी निर्दिष्ट समय पर अपने प्रवेश-पत्र तथा निम्नांकित मूल प्रमाण-पत्रों तथा उनकी एक सेट स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होंगे :

i. वैध फोटोयुक्त पहचान-पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान-पत्र, आदि।

ii. जन्म तिथि प्रमाण-पत्र (मैट्रिक/ समकक्ष सर्टिफिकेट एवं अंक प्रमाण-पत्र की मूल प्रति)।

iii. इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र।

iv. इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का अंक पत्र।

v. अनुसूचित जाति (SC)/ अनुसूचित जनजाति (ST) आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए –
   - सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र; एवं
   - स्थायी आवास प्रमाण-पत्र।

vi. पिछड़ा वर्ग (BC) एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए–
   - सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र; एवं
   - स्थायी आवास प्रमाण-पत्र; एवं
   - सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (Non-Creamy Layer Certificate); एवं
   - विगत 1 वर्ष से पूर्व का निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र होने पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के परिपत्र संख्या 15440 दिनांक 05.12.2017 के अनुसार विहित प्रपत्र (फॉर्म – xviiiB) में घोषणा पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।

vii. स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित (FFW) अभ्यर्थियों के लिए –

- जिला पदाधिकारी/ प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/ पोती/ नाती/ नतनी होने का) प्रमाण–पत्र (**स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नही होगा**); एवं
- स्थायी आवास प्रमाण–पत्र।

viii. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों के लिए –

- सक्षम प्राधिकार द्वारा **वित्तीय वर्ष 2022–2023** के लिए बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 26.02.2019 के साथ संलग्न अनुसूची–I (प्रपत्र–I) में निर्गत प्रमाण–पत्र; एवं
- स्थायी आवास प्रमाण–पत्र।

ix. ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए –

- सक्षम प्राधिकार (जिला पदाधिकारी) द्वारा निर्गत ट्रांसजेन्डर होने सम्बन्धी पहचान प्रमाण–पत्र (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार का परिपत्र संख्या 9556 दिनांक 19.06.2024 सहपठित उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम 2020 के प्रपत्र–3 अथवा प्रपत्र–4 में निर्गत पहचान प्रमाण–पत्र); एवं
- स्थायी आवास प्रमाण–पत्र ।

x. गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए –

- केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, आनंदपुर, बिहटा से निर्गत बुनियादी प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र; एवं
- होम गार्ड का वैध आई कार्ड; एवं
- स्थायी आवास प्रमाण–पत्र ।

नोट –

1. आरक्षण का लाभ मात्र बिहार राज्य के मूल निवासी को ही देय है।
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग कोटि के आरक्षण का दावा करने वाली महिला अभ्यर्थियों (विवाहित/ अविवाहित) का जाति/ क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से।
3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण–पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास (अंचल) से निर्गत होगा, परंतु इस विवाहित महिला का अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा जिससे स्पष्ट हो जाए कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है।
4. आय एवं परिसम्पत्ति संबंधी प्रमाण–पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध माना जाएगा। इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 के आधार पर निर्गत EWS प्रमाण–पत्र मान्य होंगे ।

10. **दस्तावेज सत्यापन का कार्य PET के दिन ही सम्पादित किया जाएगा।** सभी अभ्यर्थी उनसे सम्बन्धित दस्तावेजों की मूल प्रति के साथ अवश्य भाग लेंगे। **इसके लिए अलग से समय नहीं दिया जाएगा और न ही अवधि विस्तार का अनुरोध मान्य होगा।**

निर्धारित तिथि एवं समय पर वांछित दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर पर्षद तदनुरूप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा।

11. शारीरिक दक्षता परीक्षा स्थल में बिना प्रवेश–पत्र के किसी भी परिस्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

सामान्य निर्देश :

12. शारीरिक दक्षता परीक्षा से पूर्व सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक/ मानसिक रूप से स्वस्थ होने, गर्भवती न होने (जहाँ लागू हो) तथा इनके द्वारा किसी भी प्रकार के उत्तेजक/ मादक/ प्रतिबंधित दवाओं का सेवन न करने का घोषणा पत्र देना होगा।

13. शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं अभिलेख संवीक्षा आदि, किसी भी प्रक्रिया में समय विस्तार का अनुरोध किसी भी परिस्थति (यथा– पारिवारिक, निजी, चिकित्सीय, अस्थि भंग, गर्भावस्था आदि) में मान्य नहीं होगा।

14. सभी अभ्यर्थियों को विज्ञापन संख्या–01/2023 में वर्णित सभी शर्तो / प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन करना अनिवार्य होगा । अर्हता या अन्य किसी आधार पर किसी भी चरण में अपात्र पाए जाने पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

15. दलालों से सावधान रहें और ऐसे संदिग्धों के संबंध में पुलिस को सूचित करें।

ह0/–

अध्यक्ष

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती),

बिहार

ज्ञापांक 06/के0च0प0(सू0)

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) का कार्यालय,

05, हार्डिंग रोड, पटना–800001

दिनांक 20/11/2024